न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

(प्रथम अपील अधिकारी अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी : अवधेश मीना, आई.ए.एस.

प्र.सं. 37 / 2024

जी.सी.एस.एस. नं. : 2024 / 158

रामचन्द्र पुत्र लालाराम ब्राहमण गांव खाटां तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उप तहसीलदार समेजा कोठी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 06.09.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलार्थी के द्वारा यह प्रथम अपील इस आधार पर प्रस्तुत की हैं कि अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाओं के संबंध में प्रत्यर्थी द्वारा गलत जवाब पेश किया गया हैं। सूचना उपलब्ध करवाने व लोक सूचना अधिकारी के विरूद्ध जुर्माना व अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु निवेदन किया हैं। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पत्र के संबंध में जवाब प्रतिवेदन तलब किया गया।

उप तहसीलदार समेजा कोठी के पत्रांक / राजस्व / 2024 / 416 दिनांक 04.09.2024 के द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा विक्रम संवत 2080 खरीफ–रबी एक वर्ष में अराजीराज भूमि पर निजायज कास्त की गई व नाजायज कास्त की गई फसल की कुर्की एवं नाजायज कास्त करने वाले के खिलाफ मुकदमा एवं आराजीराज की निलामी व स्वीकृत चालान प्रतियों की प्रमाणित प्रति चाही गई थी। आवेदनकर्ता के द्वारा पत्र में किसी भी चक या उक्त चक के आराजीराज भूमि के मुरब्बा नम्बर जिसकी नकल चाई गई वर्णित नहीं किये गये थे। प्रत्यर्थी द्वारा अपने जवाब प्रतिवेदन में संयुक्त शासन सचिव वित्त (कर) विभाग जयपुर के पत्रांक प.20(4)वित्त / कर / 2017 जयपुर दिनांक 02.11.2018 एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र क्रमांक / प.20(84)प्रसू / सूअप्र / 2009 पार्ट दिनांक 12.10.2018 का उल्लेख किया हैं। प्रत्यर्थी निवेदन किया हैं कि कार्यालय के पत्रांक / रीडर / 2024 / 473 दिनांक 22.07.2024 के द्वारा प्रार्थी को सूचित किया गया कि कार्यालय रिकार्ड की नकल चाहते है तो धारा 22 के प्रकरण संख्या या उक्त चक का नाम व मुरब्बा नम्बर सहित निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन पेश कर नकल प्राप्त करने हेतु सूचित किया गया था लेकिन प्रार्थी द्वारा निर्धारित शुल्क जमा नहीं करवाया गया हैं। अपील का निस्तारण करने हेतु निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत 1.विक्रम सम्वत 2080 खरीफ–रबी एक वर्ष में अरायजीराज भूमि पर निजायज कास्त की गई 2.आरायजीराज भूमि पर नाजायज कास्त की गई फसल की कुर्की की गई 3.अरायजीराज भूमि पर नाजायज कास्त करने वाले के खिलाफ किया गया मुकदमा 4.सक्षम अधिकारी द्वारा अरायजीराज की निलामी व स्वीकृत चालान प्रतियों की प्रमाणित सूदा नकल चाही गयी थी। जिस पर उप तहसीलदार समेजा कोठी के द्वारा अपने पत्रांक / रीडर / 2024 / 473 के द्वारा अपीलार्थी को सूचना का अधिकार के तहत आवेदन पर जवाब प्रेषित करते हुए सूचना प्रेषित की कि "आप द्वारा चाही गई उक्त सूचना के संबंध में आपको सूचित किया जाता है कि बिन्दू सं. 1 से 4 के सबंध में आपने जिस प्रारूप में सूचना चाही है। वह कार्यालय में संधारित नहीं हैं। इस संबंध में आपको सूचित किया जाता है कि राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2एफ में सूचना से तात्पर्य किसी भी स्वरूप में कोई भी सामग्री इसमे किसी भी इलेक्ट्रोनिक रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ई–मेल, मत, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र आदेश लॉग बुक, संविदा रिपोर्ट कागज पत्र नमूने, मॉडल आकंडों संबंधि सामग्री शामिल है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर देना अपेक्षित नहीं हैं। सूचना का सृजन करना अधिनियम के कार्य–क्षेत्र से बाहर है। आप के आवेदन पत्र में संबंधित चक का नाम वर्णित नहीं है। आप कार्यालय से रिकार्ड की नकल चाहते है तो धारा 22 के प्रकरण संख्या सहित अथवा चक नाम सहित आवेदन पत्र प्रेषित कर नकल प्राप्त कर सकते हैं।"

जिला कलक्टर
अनूपगढ़

लोक सूचना अधिकार द्वारा भी अपीलार्थी को प्रेषित प्रत्युत्तर में प्रकरण संख्या चक नाम सहित आवेदन कर नकल प्राप्त करने हेतु लिखा गया हैं। लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने जवाब में यह भी अंकित किया गया हैं कि अपीलार्थी द्वारा चाहे गये स्वरूप में सूचना लोक प्राधिकारी के पास संधारित नहीं हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। आवेदक से वांछित सूचना से संबंधित विशिष्टियां अपने आवेदन में अंकित करना अपेक्षित हैं। प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा विक्रम सम्वत 2080 खरीफ–रबी एक वर्ष की सूचना चाही गयी हैं, लेकिन आराजीराज भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में विशिष्टियों का अंकन नहीं किया गया हैं। ऐसी स्थिति में न्यायालय लोक सूचना अधिकारी द्वारा पारित विनिश्चय से सहमत हैं। अपील खारिज योग्य हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को सूचनार्थ/पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 06.09.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अवधेश मीना)
I.A.S
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़

जिला कलक्टर
अनूपगढ़

न्यायालय जिला कलक्टर
अनूपगढ़ (राज.)